

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है। ऐसी स्थिति में पक्षकरान प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.07.2019 के अनुरूप अपने अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03 जुलाई 2019 के अनुसार वादीगण श्रीमती शिमला देवी पत्नी श्री राम कुमार जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर व मुकेश साहू पुत्र श्री राम कुमार जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को:- चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 6/35, 36 का मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 0.759 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 48/50 का मुरब्बा नम्बर 10 का किला नम्बर 5(0.063 है0 किला नम्बर 4 के साथ चिपता हुआ) कुल 0.063 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 53/36, 47, 63 का मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 0.759 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 54/36, 47, 61 का मुरब्बा नम्बर 10 की 0.759 है0, चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 61/58 का मुरब्बा नम्बर 10 की 1.265 है0 भूमि व चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 69/35, 36, 71 का मुरब्बा नम्बर 10 की 0.759 है0 भूमि व चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 86/84 का मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादीगण कैलाश देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार व अमनदीप पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 53/36, 47, 63 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 11/10 का मुरब्बा नम्बर 8 की कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 54/36, 47, 61 का मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 2(0.253), 3(0.063) कुल 0.316 है0 भूमि कुल 5.376 है0 भूमि का प्रतिवादीगण विकास साहू पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार एवम् सीमा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 12/11 का मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 1 ता 21(5.313), 22(0.063) कुल 5.376 है0 रकबा का प्रतिवादी राम कृष्ण उर्फ रामकिशन पुत्र श्री लाधू राम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को वाके चक 2 जी छोटी का खाता संख्या 7/8 का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 20/2(0.190), 21 ता 24 (1.012) कुल 1.202 हैक्टेयर रकबा, व इसी चक 2 जी छोटी द्वितीय का खाता संख्या 41/41 का मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 13/2(0.127), 14(0.253), 17, 18, 19 (0.759), 20/1(0.063) कुल 1.202 हैक्टेयर रकबा, इसी

चक 2 जी छोटी द्वितीय का खाता संख्या 42/42 का मुरब्बा नम्बर 19 का 1. 517 है0 रकबा व इसी चक 2 जी छोटी द्वितीय का खाता संख्या 43/43 का मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 6(0.189), 7, 8 (0.506), 9/1(0.127), 11, 12(0.506), 13/1(0.126) कुल 1.454 हैक्टेयर रकबा कुल 5.375 है0 व चक 4 एफ छोटी का खाता सं0 54/36 का मु0 न0 8 का कि0 न0 1 की 0.253 है0 का प्रतिवादी प्रकाश साहू पुत्र श्री जगदीश साहू जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 12/11 का मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 23(0.126), 24 व 25(0.506) कुल 0.632 है0 भूमि का प्रतिवादी कुंभा राम पुत्र श्री भोमा राम जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 54/36, 47, 61 का मुरब्बा नम्बर 8, 10 व 14 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 14 की 1.265 है0 रकबा। चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 61/58 का मुरब्बा नम्बर 10 व 14 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 14 की 2.530 है0 रकबा। चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 69/35, 36, 71 का मुरब्बा नम्बर 10 व 14 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 14 की 2.530 है0 भूमि का प्रतिवादी लाधू राम पुत्र श्री भोमा राम जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को वाके चक 2 जी छोटी का खाता संख्या 7/8 का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 16/2(0.126), 25 (0.253) कुल 0.379 हैक्टेयर रकबा, इसी चक 2 जी छोटी द्वितीय का खाता संख्या 41/41 का मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 15(0.253), 16/2 (0.126) कुल 0.379 हैक्टेयर रकबा, इसी चक 2 जी छोटी द्वितीय का खाता संख्या 43/43 का मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 6(0.064) कुल 0.064 है0 रकबा। चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 12/11 का मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 22(0.190), 23(0.127) कुल 0.317 हैक्टेयर रकबा। चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 48/50 का मुरब्बा नम्बर 10 का किला नम्बर 5(0.190), 6, 15, 16 (0.759) कुल 0.949 है0 भूमि। चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 54/36, 47, 61 का मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 3(0.190), 4, 5(0.506) कुल 0.696 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है अतः उक्तानुसार विभाजन कर अलग-अलग खाता कायम किया जावे। यथा डिक्री जारी हो।

आदेश खुले न्यायालय में अधिवक्तागण के समक्ष मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 12.07.2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
सहायक कलेक्टर एच
(आर ए एस)
कायम न्यायालय
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर